

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्यय अनुभाग)

क्रमांक:- प-4(93)वित्त-1(1)आय. व्य/2011

जयपुर, दिनांक:-28-3-13

संबंधित कोषाधिकारी

स्वीकृति संख्या -1016 /2012-13

विषय - वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कार्यालयों के पी. डी. खातों में राशि रूपये 46.63 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुक्त, महिला अधिकारिता एवं शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प-13() मअ/एसएचजी /ब.घों/12-13/14570-582 दिनांक 25.03.13 स्वीकृति संख्या 43/2012-13 में अंकित शर्तों के अनुसार विभिन्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कार्यालयों के पी.डी. खातों में राशि रूपये 46.63 लाख (अक्षरे रूपए छियालीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की राशि निम्न बजट मदों में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	मांग सं. 30 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय 02-समाज कल्याण 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01)-धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण [01]-महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से 17-वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	मांग सं. 51 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय 02-समाज कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01)-धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण [01]-महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से 17-वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	योग (3+4)
1	2	3	4	5
1	धौलपुर	-	24.00	24.00
2	सिरोही	22.63	-	22.63
	योग	22.63	24.00	46.63

(अक्षरे रूपये छियालीस लाख तिरसठ हजार मात्र)

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
(सुधीर शर्मा)
28-03-13
निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि -

- 1 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 2 आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर (जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, सुलभ भवन के पास)।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, जयपुर।
- 4 उप शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, जयपुर।
- 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, (संयुक्त निदेशक) वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
- 7 अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
- 8 रक्षित पत्रावली।

(सुधीर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार
आयुक्त, महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

486

क्रमांक:- प-130मअ/एसएचजी/ब.घो. /12-13/ 14568-69

जयपुर, दिनांक:- 25/3/13

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,
..... (राजस्थान)

स्वीकृति संख्या - 43/2012-13

विषय - वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण हेतु 46.63 लाख रूपयों का बजट आवंटन व पी.डी. लेखों, हस्तान्तरण की प्रशासनिक स्वीकृति।

निम्न जिला परिषद कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण हेतु 46.63 लाख रूपये (अक्षरे रूपये छियालीस लाख तिरैसठ हजार मात्र) विभिन्न लेखाशीर्षों में आवंटन व पी.डी. लेखों हस्तान्तरण की प्रशासनिक स्वीकृति राज्यपाल महोदय की ओर से एतद्द्वारा प्रदान की जाती है-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	मांग सं. 30 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय 02-समाज कल्याण 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01)-धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण [01]-महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से 17-वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	मांग सं. 51 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय 02-समाज कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01)-धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण [01]-महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से 17-वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	योग (3+4)
1	2	3	4	5
1.	धौलपुर	-	24.00	24.00
2.	सिरोही	22.63	-	22.63
	योग	22.63	24.00	46.63

(अक्षरे रूपये छियालीस लाख तिरैसठ हजार मात्र)

उपरोक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण--पत्र समय पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 161300515 दिनांक 21.03.13 से प्राप्त सहमति के अनुसार जारी की जाती है।

भवदीया,

आयुक्त म.अ. एवं शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प-130मअ/एसएचजी/ब.घो. /12-13/ 14570-582

जयपुर, दिनांक:- 25/3/13

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राज., जयपुर ।
4. निदेशक (बजट) वित्त विभाग को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार जिला परिषदों के निजी निक्षेप खाते में आयोजना मद से राशि रु. 46.63 लाख (अक्षरे रूपये छियालीस लाख तिरैसठ हजार मात्र) के हस्तांतरण की स्वीकृति जारी कर इस विभाग को अवगत करावें ।
5. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर
6. मुख्य लेखाधिकारी, म.अ., जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय
8. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता
9. क0 लेखाकार, अंक मिलान/सहायक सांख्यिकी अधिकारी/रक्षित पत्रावली।

विष्णु कुमार भारद्वाज 25/3/13
 अतिरिक्त निदेशक (SHG)
 महिला अधिकारिता,
 राजस्थान, जयपुर